[2014] 8 एस. सी. आर 930

राजीव धवन

वी.

गुलशन कुमार महाजन और ओआरएस।

(अवमानना याचिका (सी. आर. एल) 1994 का सं. 2)

23 जुलाई, 2014।

[आर. एम. लोधा, सीजेआई। , अनिल आर. डेव, सुधांशु ज्योति

मुखोपाध्याय, दीपक मिश्रा और

शिवा कीर्ति सिंह, जे. जे.]

न्यायालय की सामग्रीः

अवमानना कार्यवाही-कथित व्यक्ति को नोटिस नहीं दिया गया

अवमानना-अपमानजनक टिप्पणी की गई है

उच्चतम न्यायालय के खिलाफ तीसरे अवमानक द्वारा, एक में प्रकाशित

10.4.1994 पर और एक आवधिक (11-17 अप्रैल, 1994) में समाचार पत्र-आयोजितः न्यायालय ने विषय की गंभीरता की सराहना की मामला-यह भी इस तथ्य से अनजान नहीं है कि यह तीसरे अवमानकर्ता द्वारा दायर प्रारंभिक प्रतिक्रिया से प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं था और 06.05.1994 पर अवमानना शुरू करने का आदेश दिया गया था।

पहले से तीसरे उत्तरदाताओं के खिलाफ कार्यवाही-हालाँकि, तीसरे अवमानकर्ता पर आरोपों के साथ नोटिस नहीं दिया गया है

अब तक सेवा की गई-इस प्रकार, समय की इस दूरी पर, जब विषय वस्तु लगभग दो दशकों तक निष्क्रिय रही और

तीसरा अवमाननाकर्ता 96 वर्ष का है और जवाब देने में सक्षम नहीं है वृद्धावस्था और बीमारी के कारण आरोपों के लिए, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है

पता लगाने के लिए अवमानना की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई जा रही है लेखक के खिलाफ आपराधिकता (तीसरा अवमानक जिसने अपमानजनक बयान दिए), अवमानना का मामला योग्य नहीं है।

प्रथम और द्वितीय अवमानकों के खिलाफ भी पीछा किया जाना चाहिए, जिन्होंने बिना शर्त माफी भी मांगी है-जहाँ तक

अन्य अवमानकर्ता चिंतित हैं, अदालत ने अभी तक नहीं लिया है

उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत का संज्ञान-इसलिए अवमानना के मामलों को बंद किया जाना चाहिए-आदेश दिया गया

930 राजीव धवन बनाम। गुलशन कुमार महाजन 931

तदनुसार-अयोध्या अधिनियम में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण,

1993 — भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 129 .

अवमानना याचिका (सीआरएल) 1994 का सं. 2 यह आरोप लगाते हुए दायर किया गया था कि कथित अवमानकर्ताओं ने अपमानजनक टिप्पणी की थी।

उच्चतम न्यायालय के संबंध में टिप्पणी करते हुए जबकि

कुछ क्षेत्रों के अधिग्रहण की संवैधानिक वैधता अयोध्या अधिनियम, 1993 में इसके द्वारा 1993 के विशेष संदर्भ संख्या 1 में जांच की जा रही थी। उक्त टिप्पणियां प्रकाशित की गई थीं।

10.4.1994 पर एक समाचार पत्र में और एक आवधिक (11-17 अप्रैल, 1994) में। 06.05.1994 पर, अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया

मालिक के खिलाफ आपराधिक अवमानना का संज्ञान,

पत्रिका के प्रकाशक, मुद्रक और संपादक, इसके रिपोर्टर

और प्रत्यर्थी संख्या 3. न्यायालय ने उचित निर्देश दिया

नोटिस। तीन पर परोसे जाने वाले निर्धारित प्रपत्र में

5 और 6 संबंधित थे, न्यायालय ने प्रश्न के लिए रखा अलग से जाँच करें। न्यायालय ने आगे कहा कि

विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष के खिलाफ कोई कारणदर्शक नोटिस जारी करने या कार्यवाही शुरू करने का कोई औचित्य नहीं था और इस आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया गया

उसके खिलाफ। 25.03.2014 पर, जब मामले संविधान पीठ द्वारा बुलाए गए थे, तो अवमानना संख्या 3 की ओर से यह इंगित किया गया था कि व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए नोटिस न्यायालय द्वारा निर्देशित आरोपों के साथ थे

उसकी सेवा नहीं की। अतः संविधान पीठ ने,

सेवा के संबंध में कार्यालय से स्पष्टीकरण मांगा गया

अवमानकर्ताओं और रिकॉर्ड पर अधिवक्ता को भी निर्देशित किया अवमानक सं. 3 उसे अगले दिन न्यायालय में उपस्थित रखने के लिए, अर्थात 26.03.2014। 26.03.2014 पर, अवमानना संख्या 3 को व्हील चेयर पर अदालत में लाया गया था। यह दोहराया गया कि व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए नोटिस

06.05.1994 पर न्यायालय द्वारा निर्देशित आरोप नहीं थे

उस अवमानक पर सेवा की जिसने तब तक 96 प्राप्त कर लिया था

आयु के वर्ष और गंभीर शारीरिक और मानसिक बीमारी के कारण प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था।

[2014

] 8 एस सी आर।

932. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः न्यायालय इसकी गंभीरता की सराहना करता है

विषय वस्तु। न्यायालय इस तथ्य से भी बेखबर नहीं है कि वह प्रारंभिक स्थिति से प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं था।

उत्तरदाताओं संख्या। 1 3 तक। लेकिन, तथ्य यह है कि 06.05.1994 पर पारित आदेश के बावजूद, अवमानना संख्या 3 पर आरोपों के साथ नोटिस नहीं दिया गया है

अब तक सेवा की गई। मामले के इस दृष्टिकोण से, इस पर

समय की दूरी, जब विषय वस्तु बनी रही

96 वर्ष का है और देय आरोपों का जवाब देने में सक्षम नहीं है वृद्धावस्था और बीमारी के लिए, यह एक उपयुक्त मामला नहीं है जहां न्यायालय को मामले से आगे निपटना चाहिए। अवमानना के बाद से

पता लगाने के लिए आगे की कार्यवाही नहीं की जा रही है। लेखक के खिलाफ आपराधिकता (अवमानना संख्या 3 जिसने किया)

(ग) न्यायालय का विचार है कि अवमानना का मामला अवमाननाकर्ता सं. के विरुद्ध चलाए जाने के योग्य नहीं है। 1 और 2 भी। समकालीन

Nos.1 और 2 ने भी बिना शर्त माफी मांगी है।

जहाँ तक अवमानना संख्या है। 4 6 संबंधित हैं, न्यायालय ने अभी तक आपराधिक शिकायत का संज्ञान नहीं लिया है

उनके खिलाफ। इसलिए अवमानना के मामलों को बंद किया जाना चाहिए। तदनुसार आदेश दिया। [पैरा 12] [940-सी-एफ]

आपराधिक मूल न्यायनिर्णयः अवमानना याचिका

(सीआरएल.) 1994 का सं. 2।

के साथ

1994 की अवमानना याचिका (आपराधिक) सं. 4 ए।

भारत के सॉलिसिटर जनरल, पल्लव सिसोदिया, राम जेठमलानी,

मनिंदर सिंह गोपाल जैन, प्रशांत भूषण, संजय आर. हेगड़े, संध्या गोस्वामी, सी. डी. सिंह, विक्रम बनर्जी, साक्षी कक्कड़, अंकुर चावला, सर्वेश सिंह बघेल, नंदिनी राजीव धवन बनाम।

गुलशन कुमार महाजन 933

गोरे, नेहा खंडेलवाल, अविजीत सक्सेना, माणिक करंजावाला, प्रणव दीश, वरुण कुमार। उपस्थित दलों के लिए टिकमनी, पायल चंद्र, शोभा, ज्योति राणा।

डॉ. राजीव धवन (याचिकाकर्ता-व्यक्तिगत)। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एम. लोधा, सीजेआई। 1. 06.12.1992 पर अयोध्या में हुई घटनाओं के परिणामस्वरूप, भारत के राष्ट्रपति ने एक

भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत घोषणा

उत्तर सरकार के सभी कार्यों को स्वयं संभालते हुए

प्रदेश, यू. पी. विधानसभा को भंग करना। शुरुआत में,

अयोध्या में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण अध्यादेश, 1993 (संख्या 8)

इसके स्थान पर अयोध्या में कुछ क्षेत्र का अधिग्रहण अधिनियम, 1993 (1993 का No.33) (संक्षेप में, '1993 अधिनियम') लाया गया। उसी दिन, अर्थात् 07.01.1993 पर, जब 1993 का अधिनियम No.33 अधिनियमित किया गया था,

विशेष संदर्भ (1993 का विशेष संदर्भ संख्या 1 होने के नाते)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 (1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस न्यायालय में पेश किया गया था। संवैधानिक वैधता

संविधान पीठ द्वारा 1993 के अधिनियम और 1993 के विशेष संदर्भ संख्या 1 की स्थिरता की जांच की जा रही थी।

इस न्यायालय से। आरोप है कि विश्व हिंदू परिषद

(विहिप), जिसे उस समय प्रतिबंधित कर दिया गया था, ने धर्म संसद का आयोजन किया

अप्रैल, 1994 के पहले सप्ताह में और धर्म संसद के बाद

इसके अध्यक्ष विष्णु हरि डालमिया और संयुक्त महासचिव गिरिराज किशोर ने कुछ अपमानजनक बयान दिए।

समाचार सम्मेलन में इस न्यायालय के बारे में। बयानों में

विष्णु हरि डालमिया और गिरिराज किशोर द्वारा बनाई गई मीडिया के लिए

इंडियन एक्सप्रेस में इसके 10.04.1994 संस्करण में प्रकाशित किए गए थे।

नामित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. राजीव धवन ने विष्णु हरि के खिलाफ इस अदालत में अवमानना याचिका (सी. आर. एल.) दायर की।

डालमिया और गिरिराज किशोर, अध्यक्ष और संयुक्त जनरल विश्व हिंदू परिषद और इंडियन एक्सप्रेस के सचिव

भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करके। ऐसा माना जाता है कि विष्णु हरि डालमिया और गिरिराज किशोर द्वारा दिए गए बयान भारतीय [2014] 8 एस. सी. आर. में प्रकाशित हुए।

एक्सप्रेस दुर्भावनापूर्ण था और इस न्यायालय को बदनाम करने और इसके अधिकार को कम करने के समान था। अवमानना याचिका में याचिकाकर्ता ने इंडियन एक्सप्रेस समाचार रिपोर्ट के निम्नलिखित उद्धरणों की ओर ध्यान आकर्षित किया थाः

" वी. एच. पी. ने सुप्रीम कोर्ट को 'सीमा से अधिक' नहीं करने की चेतावनी दी

" शनिवार को यहां मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए विष्णु

हरि डालमिया और गिरिराज किशोर विहिप के अध्यक्ष और संयुक्त महासचिव ने शीर्ष अदालत पर "कार्यपालिका की शक्ति को कमतर करने" का प्रयास करने के लिए हमला किया।

" अयोध्या मुद्दा अब तक केवल फैसला सुनाने में देरी के कारण समाधान से चूक गया था।

" न्याय में देरी न्याय से इनकार है "।

" न्यायपालिका के पास राम जन्मभूमि पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है "किशोर ने अदालत को आगाह किया कि वह अपने फैसले से आगे न बढ़े।

सीमाएँ "

उन्होंने (किशोर) टिप्पणी की कि सर्वोच्च न्यायालय हार गया था

निर्णय लेने में देरी के कारण इसकी प्रतिष्ठा

अयोध्या विवाद "।

इंडियन एक्सप्रेस की उपरोक्त रिपोर्ट का श्रेय एक्सप्रेस को दिया जाता है।

समाचार सेवा।

2. यह भी माना जाता है कि गिरिराज किशोर ने खबरदार इंडिया (11-17 अप्रैल, 1994) में एक बयान दिया था कि सरकार अदालत को प्रभावित करती है और एक अनाम उद्धरण का हवाला देते हैं।

मंत्री ने कहा कि उनके पास एक जेब में अदालत है और दूसरे में नेता हैं। अवमानना याचिका में यह भी कहा गया है कि इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार एक घोर अपराधी है।

अवमानना जिसके लिए बयान के लेखक, अर्थात् विष्णु हरि डालमिया और गिरिराज किशोर, इंडियन एक्सप्रेस के संपादक और प्रकाशक, एक्सप्रेस समाचार सेवा के प्रभारी व्यक्ति और पत्रकार, इस अदालत के प्रति जवाबदेह हैं।

3. 12.04.1994 पर, डॉ. राजीव धवन द्वारा प्रस्ताव पर जे. ई. वी. धवन बनाम.

गुलशन कुमार महाजन 935

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

उदाहरण के लिए, अवमानना याचिका को बोर्ड पर लिया गया था। द.उस दिन संविधान पीठ ने निम्नलिखित आदेश पारित कियाः

न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री गिरिराज किशोर के बयान 10 अप्रैल, 1994 को समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुए और

11-17 अप्रैल, 1994 का आवधिक शैली का "खबरदार इंडिया",

यह तर्क दिया जाता है कि जो न्यायालय की छवि को कम करता है

जनता के मन में और अपमान का गठन करता है

इस न्यायालय की गरिमा और अधिकार। श्री गिरिराज किशोर के कथन, यदि सच हैं, तो इसके बराबर हो सकते हैं

आपराधिक अवमानना के लिए।

सबसे पहले हम श्री गिरिराज को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हैं।

किशोर और उक्त अंक के संपादक, मुद्रक, प्रकाशक के साथ-साथ विशेष समाचार के रिपोर्टर को

इंडियन एक्सप्रेस।

वर्तमान में हम श्री विष्णु हरि डालमिया के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने को टाल देते हैं, जिनके खिलाफ याचिकाकर्ता भी हैं।

कार्रवाई की मांग की। श्री गिरिराज किशोर और संपादक, मुद्रक, प्रकाशक द्वारा विवरणी दाखिल करने के बाद इस पर विचार किया जाएगा।

और समाचार पत्र के रिपोर्टर।

जहाँ तक दूसरे प्रकाशन की बात है, अर्थात "। खबरदार इंडिया " याचिका के अनुलग्नक-1 में संदर्भित, डॉ।

धवन नाम या पद प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं।

प्रकाशन का, प्रस्तुतिकरण के अनुसार, ये प्रकाशन से विवरण स्पष्ट नहीं हैं। डॉ.

धवन इन विवरणों को प्रस्तुत करेंगे जिसके बाद नोटिस जारी किए जाएंगे।

उनके पास जाएँगे।

तथापि, अनुलग्नक-I में दिए गए कथन के संबंध में

श्री गिरिराज किशोर को जिम्मेदार ठहराते हुए, वह अपना रिटर्न दाखिल करेंगे। 936 के बाद

विवरणी इस सवाल पर दायर की जाती है कि क्या न्यायालय ऐसा करेगा

स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी विचार किया। नोटिस 26 अप्रैल, 1994 तक वापस किए जा सकते हैं। ”

4. 13.04.1994 पर याचिकाकर्ता डॉ. राजीव धवन ने याचिका दायर की

"खबरदार इंडिया" पत्रिका के संपादक, मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते निर्धारित करने वाला एक ज्ञापन। अवमानना याचिका के कारण शीर्षक में संशोधन किया गया और

निम्नलिखित को अवमानक के रूप में शामिल किया गया थाः (1) गुलशन कुमार

महाजन, मालिक, प्रकाशक, प्रिंटर और खबरदार इंडिया के संपादक, (2) प्रदीप ठाकुर, रिपोर्टर, खबरदार इंडिया, (3) गिरिराज

किशोर, (4) प्रभु चावला, संपादक, इंडियन एक्सप्रेस (5) वी. के.

कपूर, प्रिंटर और प्रकाशक, इंडियन एक्सप्रेस और (6) भास्कर रॉय, रिपोर्टर, एक्सप्रेस न्यूज सर्विस।

5. 13.04.1994 पर, अदालत ने कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया

(लेकिन उस तारीख को कोई संज्ञान नहीं लिया गया) खबरदार इंडिया के संपादक, मुद्रक, प्रकाशक और रिपोर्टर को भी।

26.04.1994 पर वापसी योग्य सूचना।

6. 26.04.1994 पर, अदालत ने नोट किया कि सभी छह उत्तरदाता

परोसा जाता था। प्रतिवादी Nos.4,5 और 6 की ओर से जवाबी हलफनामे दायर किए गए थे, जिन्हें रिकॉर्ड में लिया गया था। वकील ने प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 के लिए और इसलिए प्रत्यर्थी नंबर 3 के वकील ने भी समय मांगा, जिसे उनका काउंटर दाखिल करने के लिए दिया गया था

शपथ पत्र। संविधान के समक्ष कार्यवाही के दौरान 26.04.1994 पर पीठ, डॉ. राजीव धवन ने लाने की मांग की

न्यायालय का नोटिस कि नोटिस दिए जाने के बाद भी प्रत्यर्थी सं. 3, उन्होंने अदालत की प्रक्रिया को अवमानना के दायरे में रखते हुए उत्तेजक बयान देना जारी रखा था। उन्होंने कुछ समाचार पत्र प्रकाशनों का उल्लेख किया। न्यायालय ने कहा कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के बाद, यह होगा

याचिकाकर्ता के लिए प्रतिवादी संख्या 3 के लिए जिम्मेदार किसी भी बयान या आचरण को रिकॉर्ड पर रखने के लिए खुला होना चाहिए। इसके बाद मामले को 06.05.1994 के लिए रखा गया।

7. 06.05.1994 पर, न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया

प्रत्यर्थी नं. 1, गुलशन कुमार राजीव धवन बनाम के खिलाफ आपराधिक अवमानना।

गुलशन कुमार महाजन 937

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

भारत ", प्रतिवादी संख्या 2, प्रदीप ठाकुर, रिपोर्टर, " खबरदार इंडिया "और प्रतिवादी नं. 3 गिरिराज किशोर। द.

अदालत ने निर्देश दिया कि निर्धारित प्रपत्र में उचित नोटिस

रजिस्ट्री द्वारा न्यायालय में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की तारीख तय करते हुए तीनों अवमानकर्ताओं को सेवा प्रदान की जाएगी। श्री दीपांकर

पी. गुप्ता, विद्वान सॉलिसिटर जनरल (जैसा कि वे तब थे) थे

आपराधिक अवमानना की कार्यवाही में अभियोजक के रूप में न्यायालय की सहायता करने का अनुरोध किया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जारी करने से पहले

आरोपों के साथ नोटिस, रजिस्ट्री को अभियोजक (सॉलिसिटर जनरल) को मामला दिखाया जाएगा। यहाँ तक कि

जैसा कि उत्तरदाता 4,5 और 6 का संबंध है, न्यायालय ने रखा

अलग से परीक्षा के लिए प्रश्न। 06.05.1994 का क्रम

यह नीचे लिखा हैः

" हमने उन व्यक्तियों के लिए विद्वान सलाह सुनी है जिन्हें कारण बताएँ नोटिस का आदेश दिया गया था कि क्यों

आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए।

उनके खिलाफ अदालत के अपने प्रस्ताव पर।

हमने उनके द्वारा दायर जवाबी हलफनामों का अध्ययन किया है।

एक विचार पर, हम शुरू में पाते हैं कि कोई नहीं है

किसी भी कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने या शुरू करने के लिए औचित्य

श्री विष्णु हरि डालमिया के खिलाफ कार्यवाही गिरा दिया।

न्यायालय की आपराधिक अवमानना के लिए स्वतः संज्ञान कार्यवाही

पहले आरोपी श्री के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश

गुलशन कुमार महाजन, मालिक, प्रकाशक, प्रिंटर और "खबरदार इंडिया" के संपादक, दूसरे आरोपी, श्री प्रदीप ठाकुर, रिपोर्टर, खबरदार इंडिया के खिलाफ; और

तीसरा-आरोपी श्री गिरिराज किशोर।

निर्धारित प्रपत्र में उपयुक्त नोटिस जारी किए जाएंगे।

रजिस्ट्री द्वारा उन पर, अदालत में उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए तारीख तय करना।

आपराधिक अवमानना के लिए कार्यवाही। आरोप के साथ नोटिस जारी करने से पहले,

रजिस्ट्री इस मामले को अभियोजक को दिखाएगी।

जहाँ तक प्रत्यर्थी Nos.4,5 और 6 का संबंध है, हम इस प्रश्न की जांच करने का प्रस्ताव करते हैं कि क्या ब्याज में है।

के बीच उचित संतुलन बनाए रखने के लिए

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार

एक ओर, और दूसरी ओर न्यायालयों के अधिकार और गरिमा की रक्षा करने की आवश्यकता पर, न्यायालय को पहल करनी चाहिए आपराधिक अवमानना के लिए इसी तरह की कार्यवाही

उत्तरदाता 4,5 और 6 विशेष रूप से तथ्य के प्रकाश में

कि इन उत्तरदाताओं ने प्रकाशन किया था।

प्रेस से संबंधित-आरोपी नंबर 3, श्री गिरिराज किशोर का समाचार पत्र में एक टिप्पणी के साथ साक्षात्कार

ऐसे बयानों और बयानों की अनुचितता,

इसके बाद समाचार पत्र में एक संपादकीय में इसकी निंदा की गई

इस तरह का व्यवहार। इस पहलू की अलग से जांच की जाएगी।

8. ये मामले लगभग दो दशकों तक निष्क्रिय रहे। 25.03.2014 पर, जब मामले बुलाए गए थे

अदालत द्वारा निर्देशित आरोपों के साथ व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए नोटिस अभी तक अवमानकर्ता को नहीं दिए गए हैं। में। इसके आलोक में, संविधान पीठ ने स्पष्टीकरण माँगा

अवमानकर्ताओं पर सेवा के संबंध में कार्यालय और अवमानकर्ता संख्या 3 के लिए रिकॉर्ड पर अधिवक्ता को गिरिराज को उपस्थित रखने का भी निर्देश दिया

किशोर अगले दिन अदालत में, यानी 26.03.2014।

9. दिनांकित 25.03.2014 आदेश के अनुपालन में, कार्यालय ने 26.03.2014 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जो इस प्रकार हैः

" यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय न्यायालय के दिनांकित 6.5.1994 के आदेश के अनुसरण में समकालीनों को नोटिस अर्थात प्रदीप राजीव धवन बनाम।

गुलशन कुमार महाजन 939

[आर. एम. लोधा, सीजेआई।]

ठाकुर (आर-2), गिरिराज किशोर (आर-3) और गुलशन कुमार महाजन (आर-1) को 8 अगस्त, 1994 को माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए 20.6.1994 पर जारी किया गया था। उक्त नोटिसों की प्रति वकील को भी भेजी गई थी

अवमानकर्ता जिन्हें वकील द्वारा स्वीकार किया गया था दोषियों के लिए। हालांकि, इसके संबंध में कोई एडी कार्ड नहीं है

अवमानकर्ताओं को भेजे गए नोटिस प्राप्त हो गए हैं।

यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित मामले

8 अगस्त, 1994 को सूचीबद्ध नहीं किया जाना था इसलिए नोटिस अवमानकर्ताओं को इसके साथ फिर से 6.8.1994 पर भेजा गया था

पंजीकृत के माध्यम से अवमानकर्ताओं के वकील को प्रतिलिपि

ए/डी कवर। उक्त नोटिस अवमानकर्ता को दिए गए थे

8.8.94 पर सं. 1, अन्यथा सं. 2 8.8.94 और अवमानना पर

नहीं। 3 12.8.94 "पर।

10. <ID1, अवमानना संख्या 3 पर, गिरिराज किशोर को उनके परिचारक द्वारा व्हील चेयर पर अदालत में लाया गया था। अवमानकर्ता संख्या 3 के विद्वान वरिष्ठ वकील ने दोहराया कि व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए नोटिस के साथ-साथ आरोप भी लगाए गए हैं। 06.05.1994 पर न्यायालय को अवमानकर्ता पर कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि अवमानना संख्या 3 96 वर्ष की है और नहीं है।

गंभीर शारीरिक और मानसिक बीमारी के कारण प्रतिक्रिया करने में सक्षम। अवमानना संख्या 3, गिरिराज किशोर के साथ परिचारक

न्यायालय के प्रश्न में सूचित किया गया कि अवमानकर्ता संख्या 3 में नहीं है

श्रवण हानि और कमजोर मानसिक स्थिति के कारण प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति।

11. रिकॉर्ड से एक बात स्पष्ट है कि व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए नोटिस के साथ शुल्क के रूप में निर्देशित किया गया है

इस न्यायालय ने 06.05.1994 दिनांकित आदेश में, के संज्ञान के बाद

अवमानना की गई थी, अवमानना संख्या 3 पर सेवा नहीं दी गई है

अब तक। इस तरह की स्थिति में, हमारे विचार के लिए तुरंत जो सवाल उठता है, वह यह है कि क्या न्यायालय को ऐसा करना चाहिए? शुल्क के साथ नोटिस की सेवा को अभी निर्देशित करें। डॉ.

राजीव धवन ने दृढ़ता से तर्क दिया कि पृष्ठभूमि

ये मामले 06.12.1992 पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस है। उनके अनुसार, इससे 940 को चोट लगी थी।

भारत का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना। उन्होंने प्रस्तुत किया कि तनाव बना रहा

विश्व हिंदू परिषद ने 03-04.04.1994 पर एक संसद का आयोजन किया

जबकि इस न्यायालय के समक्ष सुनवाई हो रही थी। समकालीन

नंबर 3 ने उस समय न्यायालय के बारे में अवमाननापूर्ण बयान दिए थे और इसलिए इस गंभीर मामले को नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

अनिर्णित।

12. हम विषय की गंभीरता की सराहना करते हैं।

डॉ. राजीव धवन द्वारा प्रकाशित। हम भी अनजान नहीं हैं। इस तथ्य का कि न्यायालय अवमानना संख्या 3, गिरिराज किशोर द्वारा दायर प्रारंभिक प्रतिक्रिया से प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं था और

06.05.1994 को अवमानना कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया गया

प्रत्यर्थी संख्या के विरुद्ध। 1 3 तक। लेकिन, तथ्य यह है कि

कि 06.05.1994 पर पारित आदेश के बावजूद, अवमानना संख्या 3 पर आरोपों के साथ नोटिस नहीं दिया गया है

अब तक सेवा की। मामले के इस दृष्टिकोण में, समय की इस दूरी पर, जब विषय वस्तु लगभग दो दिनों तक निष्क्रिय रही

दशकों और अब अवमानना नंबर 3 96 वर्ष का है और वह नहीं है

वृद्धावस्था और बीमारी के कारण आरोपों का जवाब देने में सक्षम, हम

यह मत सोचिए कि यह एक उपयुक्त मामला है जिससे हमें निपटना चाहिए।

मामला आगे। अब, चूंकि अवमानना की कार्यवाही नहीं होती है

लेखक के खिलाफ आपराधिकता का पता लगाने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है (अवमानना संख्या 3) जिन्होंने अपमानजनक बयान दिए, हम हैं

इस दृष्टिकोण से कि अवमानना का मामला होने के योग्य नहीं है

अवमानना संख्या के खिलाफ पीछा किया गया। 1 और 2 भी। द. वर्तमान संख्या। 1 और 2 ने भी बिना शर्त बोली लगाई है

क्षमा करें। जहां तक अवमानक Nos.4 से 6 का संबंध है,

अदालत ने अभी तक आपराधिक शिकायत का संज्ञान नहीं लिया है

उनके खिलाफ। ऊपर जो कहा गया है, हम सोचते हैं कि

अवमानना के मामलों को बंद किया जाना चाहिए। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं। राजेंद्र प्रसाद

मामलों का निपटारा किया गया।